

प्रेषक

शिक्षा निदेशक, उ०शि०, उ०प्र०,  
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,  
प्रयागराज।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री विकास/

189

/2019-20 दिनांक 17.06.2019

विषय: वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित किये गये वृक्षारोपण लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 17.06.2019 को आहूत समीक्षा बैठक के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या 672/सत्तर-3-2019-08(21)/2018 दिनांक 23 अप्रैल 2019 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु निर्धारित किये गये वृक्षारोपण लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अपने स्तर से 8.00 लाख पौधरोपित कराये जाने हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

पौधरोपित कराये जाने का विवरण निम्नवत है-

1. 15 जुलाई 2019 तक न्यूनतम प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा 50 पौध रोपित कराये जाय।
2. 31 जुलाई 2019 तक न्यूनतम प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा 30 पौध रोपित कराये जाय।
3. 15 अगस्त 2019 को न्यूनतम प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा 20 पौध रोपित कराये जाय।
4. 31 अगस्त 2019 तक न्यूनतम प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा 10 पौध रोपित कराये जाय।
5. 25 मार्च 2020 तक न्यूनतम 100 प्रतिशत प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा 10 पौध रोपित कराये जाय।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रत्येक स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाने हेतु 100 पौधे निर्धारित किया जाता है। अतः निर्धारित समय के पूर्व प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा गड्ढो को तैयार कर लिया जाय जिससे निर्धारित तिथि को छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सके।

पौधरोपण कार्यक्रम सम्पन्न होते ही निम्न प्रारूप पर सूचना एवं पौधरोपण की सी.डी./वीडियो रिकार्डिंग सहित हार्डकापी एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम/महाविद्यालय का नाम	का महाविद्यालय में पौधरोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल हे० में	खोदे गये गड्ढो की संख्या	रोपित पौधों की प्रजाति के नाम	रोपित पौधों की संख्या

भूवदीय

डा० (दिलीप कपूर)

संयुक्त निदेशक, उ०शि०  
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उ०प्र०, प्रयागराज।

पत्रांक : कु०स०-2 B स०आ०/15436/विधि शि०नि०-2013/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति-मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड कर दें।
5. सम्पादक-सम्मानित समाचार पत्रों को इस आशय से कि जनहित में सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

दिनांक: 21 जून, 2019

कुलसचिव